(18)

न्यायालय उपजिलाधिकारी, मेंहनगर, आजमगढ़

वाद संख्या 15 धारा 143 ज0वि0अधि0
मौजा–कोटा, परगना–बेलहाबास
बाबू रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय
कोटा, ऊचहुँवा, आजमगढ़
बनाम
गाँव सभा आदि

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को राजेन्द्र प्रताप सिंह, प्रबन्धक, बाबू रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय, कोटा, ऊचहुँवा, आजमगढ़ ने गाँव सभा कोटा बजरिये ग्राम प्रधान तिलिरा कोटा को बतौर प्रतिवादी बनाते हुए मौजा–कोटा स्थित आराजी सं0 250 व 247 रकबा 5184 वर्गमीटर को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि हम वादी ने आराजी सं0 250 व 247 रकबा 5184 वर्गमीटर का बयनामा बाबू रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय, कोटा, ऊचहुँवा, आजमगढ़ के नाम से कराया हूँ। जिसका दाखिल खारिज हो गया है। इस प्रकार हम वादी आराजी सं0 250 व 247 के सहखातेदार हैं। अपने हिस्से की भूमि 5184 वर्गमीटर है, जिसपर बाबू रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय, कोटा, ऊचहुँवा, आजमगढ़ का भवन बनाकर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। उपरोक्त भूमि को अकृषिक धारा 143 ज0वि0अधि0 के तहत किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त भूमि को अकृषिक खाते में दर्ज करते हुए अभिलेख माल दुरूस्त कराने की कृपा करें।

आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में उद्धरण खतौनी बयनामे की छाया प्रति व नक्शे की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

प्रार्थना पत्र की जाँच तहसील–मेंहनगर से कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रेषित किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल/रा0नि0/नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत किया है, जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि आराजी सं0 250 व 247 रकबा 5184 वर्गमीटर स्थित ग्राम–कोटा पर बाबू रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय, कोटा, ऊचहुँवा, आजमगढ़ का भवन निर्माण कराया गया है। उक्त भूखिण्ड का वर्तमान कृषिक उपयोग नहीं है। अतः आराजी सं0 250 व 247.

प्रबन्धक
बाबू रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय
कोटा, ऊचहुँवा-आजमगढ़

रकबा 5184 वर्गमीटर स्थित ग्राम–कोटा, आजमगढ़ को अकृषिक घोषित की जाने की संस्तुति की जाती है। सूचना हेतु विपक्षीगण को सम्मन जारी किये गये जो याद तामिल संलग्न पत्रावली है। विपक्षीगण की तरफ से कोई आपत्ति किसी के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

मैंने तहसीलदार की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/सबूतों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध आख्या से स्पष्ट है कि आराजी सं० 250 व 247 रकबा 5184 वर्गमीटर भूमि पर बाबू रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय, कोटा, ऊंचहुँवा, आजमगढ़ का पक्का भवन बनाया गया है। उक्त आराजी का उपयोग अकृषिक रूप में किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में धारा 143 ज०वि०अधि० के नियम 135 के तहत आराजी नम्बर को कृषि से भिन्न प्रख्यापित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

आदेश

अतः तहसीलदार की आख्या दिनांक 04.02.2014 से सहमत होते हुए मौजा–कोटा, परगना–बेलहाबास, स्थित आराजी सं० 250 व 247 रकबा 5184 वर्गमीटर भूमि को कृषि से भिन्न (अकृषिक) दर्ज किया जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

सत्य प्रतिलिपि (छायाप्रति)
दिनांक – 2/12/22
मिलान कर्ता – [signature]
पृष्ठ संख्या लगभग – 300

(बाबूलाल)
उपजिलाधिकारी, मेंहनगर

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित व घोषित।

दिनांक – 2/12/22

(बाबूलाल)
उपजिलाधिकारी, मेंहनगर

पेशकार
2/12/22
उप जिलाधिकारी
मेंहनगर – आजमगढ़

प्रबंधक
बाबू रामानन्द सिंह महिला महाविद्यालय
कोटा, ऊंचहुँवा, आजमगढ़